न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

रजू दिनांकः 02.02.2023 रजि0 न0 2023/56

अपील संख्याः– 12/34/2023

अपीलार्थीः–
श्री मनोज कुमार खण्डेलवाल, निवासी 36, विकास पथ अलवर, जिला अलवर (राजस्थान)।

प्रत्यर्थीः–
लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव नगर विकास न्यास, जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 21.02.2023

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 24.11.2022 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 21.02.2023 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया तथा लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत पत्रांक 19109–11 दिनांक 08.02.2023 के माध्यम अवगत कराया है कि प्रस्तुत आवेदन में आयोजना शाखा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना विशिष्टी रहित होने के कारण सूचना दिया जाना संभव नही है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
5. उक्त आलोक में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 21.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर अलवर (राज0)